तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

दिनांक–01.11.2025

अधिवक्ता वादी श्री सर्वेश सारस्वत व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री प्रमोद कुमार मोदी तथा श्री रजनीश महला व जय कौशिक उपस्थित। प्रार्थी/वादी सरिता द्वारा जरिये पॉवर ऑफ अटॉर्नी हेतु विकास पौद्दार प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–7 नियम 14(3) सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 14.10.2025 पर उभयपक्ष को सुना जा चुका है।

बहस के दौरान प्रार्थी/वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त मुख्तयारनामा दिनांक 23.07.2018 को मुंबई में विधिवत नोटेरी पब्लिक से एटेस्टेड करवाया गया था जो पक्षकारों के अन्य प्रकरणों में प्रस्तुत होने से संदेहास्पद नहीं है एवं असल पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रार्थी के पुराने कागजों में खो गया है जिस कारण प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त दस्तावेज की प्रतिलिपि को अभिलेख पर लिया जावे।

उपर्युक्त तर्को के खण्डन में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी द्वारा असल मुख्तयारनामा पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 से आज दिनांक तक उपर्युक्त दस्तावेज को पेश नहीं किया गया है तथा इसे विलम्ब से पेश किये जाने का कोई कारण प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि मूल वाद वादी श्रीमती सरिता देवी तथा श्रीमती शशि देवी व श्रीमती प्रीति उमेश द्वारा अपने पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर श्री पराग सुधीर चितले के माध्यम से वास्ते संपत्ति के विभाजन पेश किया गया था तथा पराग सुधीर चितले के पक्ष में निष्पादित उपर्युक्त पक्षकारों की वर्ष 2016 की पृथक्–पृथक् पॉवर ऑफ अटॉर्नीज अभिलेख पर उपलब्ध हैं एवं इन्हीं के आधार पर श्री पराग सुधीर चितले द्वारा जरिये अधिवक्ता हस्तगत वाद का संचालन किया जा रहा है। किन्तु वर्तमान में प्रार्थी विकास पौद्दार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पॉवर ऑफ अटॉर्नी श्रीमती सरिता देवी द्वारा श्री विकास पौद्दार के पक्ष में वर्ष 2018 में निष्पादित किया जाना दर्शित है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह अस्पष्ट है कि क्या वर्ष 2016 में श्रीमती सरिता देवी द्वारा जारी की गयी पॉवर ऑफ अटॉर्नी वर्ष 2018 के बाद अस्तित्व में नहीं रही एवं क्या वर्ष 2018 के बाद श्री पराग सुधीर चितले को श्रीमती सरिता देवी की तरफ से न्यायालय में वाद का संचालन किये जाने की अधिकारिता समाप्त हो चुकी थी ? किन्तु श्रीमती सरिता देवी अथवा प्रार्थी विकास पौद्दार के द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है साथ ही वर्ष 2018 से आज वर्ष 2025 तक इस पॉवर ऑफ अटॉर्नी को पेश क्यों नहीं किया गया और उपर्युक्त पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रार्थी से किस प्रकार खो गयी यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जारीकर्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज केवल पॉवर ऑफ अटॉर्नी की प्रतिलिपि होने तथा असल न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये जाने व प्रकरण में

01.11.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कायर्वाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

पॉवर ऑफ अटॉर्नी की अस्पष्ट स्थिति के कारण प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थी सरिता देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–7 नियम 14(3) सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 14.10.2025 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 03.11.2025 को पेश हो। अधिवक्ता वादीगण को आदेशित किया जाता है कि आगामी दिनांक पर अविलंब वादीगण को आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रखा जावे।

01.11.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-झेरवाबाटी (सीकर) राज.